

कार्यालय जिला पंचायत उत्तर बस्तर कांकेर (छत्तीसगढ़)

Phone. No. 07868-241282, Fax. No. 07868-241482


E-Mail Id- zp-kanker.cg@nic.in

क्रमांक / 10901 / जि.पं./मुमंपंसयो 2017-18

कांकेर, दिनांक 13/11/2017

--0 प्रेस विज्ञापि 0--

आयुक्त सह संचालक, पंचायत संचालनालय द्वितीय तल इन्द्रावती भवन, नया रायपुर का पत्र क्रमांक/मुमंपंसयो/2016/547/998 नया रायपुर दिनांक 21.07.2016 के द्वारा मुख्यमंत्री पंचायत सशक्तिकरण योजनांतर्गत जिला पंचायत संसाधन केन्द्र हेतु स्वीकृत पदों की पूर्ति हेतु जारी शैक्षणिक योग्यता एवं उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर का पृ. क्रमांक/पंग्राविवि/22/492ए/ 2016/1328 नया रायपुर दिनांक 02.01.2017 के द्वारा संशोधित शैक्षणिक योग्यता के आधार पर संकाय सदस्य एवं डाटा एन्ट्री आपरेटर संविदा नियुक्ति से भरे जाने हेतु निर्धारित योग्यता रखने वाले कांकेर जिले के मूल निवासी को दिनांक 25.11.2017 तक आवेदन पत्र पंजीकृत डाक के माध्यम से आमंत्रित किये जाते है। विस्तृत जानकारी, आवेदन पत्र का प्रारूप, नियम एवं शर्तें, जिला पंचायत कांकेर की सूचना पटल एवं जिले की वेबसाईट www.kanker.gov.in/www.zpkanker.gov.in में देख सकते है।



मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत
उत्तर बस्तर कांकेर

पृ. क्रमांक / 10902 / जि.पं./ मुमंपंसयो /2017-18

कांकेर, दिनांक 13/11/2017

प्रतिलिपि :-

01. आयुक्त सह संचालक, पंचायत संचालनालय, द्वितीय तल, इन्द्रावती भवन, रायपुर को सादर सूचनार्थ।
02. कलेक्टर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर को सादर सूचनार्थ।
03. जिला जनसंपर्क अधिकारी, जिला उत्तर बस्तर कांकेर को सूचनार्थ। कृपया समस्त स्थानीय समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित करना सुनिश्चित करें।
04. जिल सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, जिला उत्तर बस्तर कांकेर को जिले की वेबसाईट में विज्ञापि अपलोड कराने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत
उत्तर बस्तर कांकेर

कार्यालय जिला पंचायत. जिला उत्तर बस्तर कांकेर. (छ.ग.)

विज्ञापन

क्रमांक/ 20903/जि.पं./मुमंमसयो/2017-18

कांकेर दिनांक 13/11/2017


मुख्यमंत्री पंचायत सशक्तिकरण योजनांतर्गत आयुक्त सह संचालक, पंचायत संचालनालय द्वितीय तल इन्द्रावती भवन, नया रायपुर का पत्र क्रमांक/मुमंमसयो/2016/547/998 नया रायपुर दिनांक 21.07.2016 एवं उप संचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर का पृ. क्रमांक/पं.वि.वि/22/492ए/2016/1328 नया रायपुर दिनांक 02.01.2017 के द्वारा संशोधित शैक्षणिक योग्यता के आधार पर के द्वारा जिला/जनपद पंचायत संसाधन केन्द्र हेतु स्वीकृत पद **संकाय सदस्य एवं डाटा एन्ट्री ऑपरेटर** हेतु जारी निर्धारित शैक्षणिक योग्यता रखने वाले कांकेर जिले के मूल निवासी को दिनांक 25.11.2017 तक आवेदन पत्र पंजीकृत डाक के माध्यम से आमंत्रित किये जाते है। पदों का विवरण एवं शैक्षणिक योग्यता निम्नानुसार है :-

क्र.	पद का नाम एवं आरक्षण	पद संख्या	एक मुश्त सविदा मासिक वेतन	न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता एवं वांछित योग्यता	मेरिट हेतु अंक निर्धारण
1	2	3	4	5	6
1	संकाय सदस्य जिला पंचायत संसाधन केन्द्र हेतु अजा - 00 अजजा - 00 अपिव - 00 अनारक्षित- 01	1	24765.00	न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता (1) स्नातकोत्तर/बी.ई. में 55% अंक से उत्तीर्ण (2) केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित कार्यक्रमों में प्रशिक्षण एवं क्षमता विकास कार्य अथवा प्रबंधकीय कार्य का कम से कम 01 वर्ष का अनुभव। (3) अंतरराष्ट्रीय/राष्ट्रीय कान्फ्रेंस अथवा जनरल में शोध पत्र।	न्यूनतम अर्हता - 75 अंक प्रति अंतरराष्ट्रीय/शोध पत्र अथवा जनरल में 03 अंक (अधिकतम 15अंक) - 15 अंक संबंधित कार्य का अनुभव (प्रति वर्ष 02 अंक अधिकतम 10 अंक) - 10 अंक
2	संकाय सदस्य जनपद पंचायत संसाधन केन्द्र हेतु अजा - 01 अजजा - 02 अपिव - 00 अनारक्षित- 00	3	18655.00	शैक्षणिक अर्हता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक। वांछित योग्यता एक वर्ष का कार्य अनुभव (किसी भी शैक्षणिक संस्था में)	न्यूनतम अर्हता - 100 अंक न्यूनतम अर्हता के अंकों का अधिभार 100 प्रतिशत।
2	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर जिला/जनपद पंचायत संसाधन केन्द्र हेतु अजा - 00 अजजा - 01 अपिव - 01 अनारक्षित- 00	2	16445.00	(1) मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण अथवा पुगना हायर सेकेणरी परीक्षा उत्तीर्ण के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय के स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण। अथवा कक्षा 10वीं उत्तीर्ण एवं मान्यता प्राप्त संस्था से किसी भी विषय में त्रिवर्षीय डिप्लोमा। (2) डाटा एन्ट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में किसी मान्यता प्राप्त संस्था से एक वर्षीय डिप्लोमा तथा हिन्दी एवं अंग्रेजी में डाटा एन्ट्री की गति 8000 की डिप्रेशन प्रतिघंटा (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी।)	न्यूनतम अर्हता के अंकों का अधिभार - 65% कम्प्यूटर प्रायोगिक परीक्षा के अंकों का अधिभार - 35%

नियम एवं शर्त :-

- 1 संविदा नियुक्ति सामान्यतः एक वर्ष के लिए होगी। विभाग की आवश्यकता के आधार पर एवं संविदा नियुक्त व्यक्ति की उपयुक्तता का आंकलन कर संविदा नियुक्ति अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया जा सकता है।
- 2 संविदा आधार पर नियुक्त व्यक्ति का गोपनीय प्रतिवेदन/पी.ए.आर.(कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन) लेखबद्ध किया जाएगा एवं संविदा आधार पर आगे और नियुक्ति के लिए उसका/उसकी विचारण किये जाने की दशा में, संविदात्मक सेवा की कालावधि के विस्तारण हेतु उसका/उसकी गोपनीय प्रतिवेदन/पी.ए.आर. (कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन) का निर्धारण उत्कृष्ट या बहुत अच्छा होना आवश्यक है।
- 3 रिक्त पदों की संख्या बढ़ाई या घटाई जा सकती है।
- 4 संविदा पद नियुक्त कर्मचारी को प्रत्येक कैलेंडर वर्ष 18 दिनों का आकस्मिक अवकाश तथा 03 दिवस ऐच्छिक अवकाश की पात्रता होगी।
- 5 उपरोक्त संविदा सेवा में मासिक एक मुश्त वेतन देय होगा, इसके अतिरिक्त कोई विशेष वेतन, महंगाई भत्ता, क्षतिपूर्ति भत्ता, गृह भाड़ा भत्ता इत्यादि नहीं दिया जाएगा।
- 6 आरक्षण रोस्टर अनुसार महिला/भूतपूर्व सैनिक/विकलांग अभ्यर्थी प्राप्त नहीं होने पर उसी प्रवर्ग के अभ्यर्थी से पद भरे जा सकेंगे।
- 7 छ.ग. शासन द्वारा संविदा नियुक्ति हेतु निर्धारित आयु सीमा एवं छूट लागू होगी। तथा संविदा नियुक्ति के संबंध में छ.ग. शासन द्वारा कोई संशोधन या परिवर्तन किया जाता है तो वह लागू होगा।
- 8 संविदा पर की गई नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी एवं बिना कारण बताये भी सेवा समाप्त की जा सकती है।
- 9 कोई भी अभ्यर्थी जिसकी पहले से 02 से अधिक जीवित संतान है सेवा के लिए अपात्र होगा जिसमें एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हुआ हो किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये योग्य नहीं होगा साथ ही छ.ग. सिविल सेवा की सामान्य शर्तें नियम 1961 में नियुक्ति के लिये अनर्हताएं भी लागू होगी। तथा छ.ग. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 में शासित होंगे।
- 10 उपरोक्त पदों हेतु कांकर जिले का मूल निवासी होना अनिवार्य है। सक्षम अधिकारी का निवास प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
- 11 शैक्षणिक योग्यता में छ.ग. शासन से मान्यता प्राप्त संस्था/वि.वि. ही मान्य होगा।
- 12 अजा/अजाजा/एवं पिछड़ा वर्ग के जाति की पुष्टि में आवेदक को प्राधिकृत अधिकारी तहसीलदार/अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति साथ ही आरक्षित पद पर नियुक्ति अथवा आरक्षित सीट पर प्रवेश हेतु चयन के उपरांत आवेदक के उपर्युक्त अनुक्रम में उपस्थित होने पर उससे प्रारूप एक अनुसार शपथ पत्र देना होगा। जिसमें प्रमाण पत्र गलत अथवा कपट पूर्वक अभिप्राप्त करने के बाद प्रमाणित होने की स्थिति में प्रदत्त लाभ एवं सुविधाओं पर व्यय की गई राशि भू-राजस्व की भांति वसूली किए जाने से सहमति एवं प्रवृत्त कानून के तहत दण्ड का भागी होने संबंधी आशय निहित होगा।
- 13 नियुक्ति के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या इसके एकज में एक माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
- 14 आवेदक का रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन आवश्यक है।
- 15 आयु विज्ञापन जारी तिथि से न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 35 वर्ष। अजा/अजाजा/एवं पिछड़ा वर्ग एवं महिला को राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी किये गए आदेशों के अनुरूप आयु सीमा में छूट की पात्रता होगी।
- 16 संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को संविदा सेवा की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की पेंशन/उपदान या मृत्युलाभ आदि की पात्रता नहीं होगी।
- 17 आवेदन निर्धारित प्रारूप में जमा किया जावे। आवेदन के साथ वांछित प्रमाण पत्रों एवं अंकसूची स्वयं द्वारा प्रमाणित होनी चाहिए। वांछित प्रमाण पत्र नहीं होने पर आवेदन अमान्य किया जावेगा।
- 18 आवेदन पत्र में स्व अभिप्रमाणित, स्वयं का पासपोर्ट साईज का नवीनतम फोटो चिपकाना अनिवार्य है।
- 19 आवेदक को जिला/जनपद पंचायत संसाधन केन्द्र के लिए पृथक-पृथक आवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
- 20 अपूर्ण/अस्पष्ट एवं त्रुटि पूर्ण आवेदन पत्रों पर कोई सूचना नहीं दी जावेगी एवं आवेदन निरस्त कर दिया जावेगा।
- 21 लिफाफे के ऊपर पद का नाम जिसके लिए आवेदन किया जा रहा है, को स्पष्ट उल्लेख किया जावे अन्यथा आवेदन निरस्त किया जा सकता है। इसी प्रकार लिफाफे के ऊपर प्रेषक का नाम एवं पत्र व्यवहार का पता आवश्यक रूप से लिखा हो।

- 22 आवेदन का आवेदन दिनांक 25.11.2017 को सायं 5:30 बजे तक कार्यालयीन समय में पंजीकृत डाक से जिला पंचायत कार्यालय कांकेर में अधिदायक रूप प्राप्त हो जाना चाहिए, दिनांक 25.11.2017 को सायं 5:30 बजे के पश्चात प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- 23 नियोक्ता के साथ करार पत्र (संविदा पत्र) निष्पादित करना होगा।
- 24 शासकीय/अर्धशासकीय संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों को अपना आवेदन पत्र उन संस्थाओं के नियोक्ता के अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा।
- 25 प्राप्त आवेदनों के संबंध में अधीनस्ताक्षरकर्ता का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा। अपील की स्थिति में संभागीय आयुक्त से अपील की जा सकती है।
- 26 सेवाविपरीत शासकीय सेवा की संविदा नियुक्ति के दौरान उसे/उन्हें अन्य कार्यालय में समकक्ष पद पर स्थानांतरित किया जा सकेगा और उसे/उन्हें संविदा नियुक्ति के पद के कार्य के साथ-साथ अन्य पद का अतिरिक्त दायित्व सौंपा जा सकेगा, जिसे स्वीकार करना उसके/उनके लिए बाध्यकारी होगा।
- 27 संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों को अपने परिवार की सामाजिक सुरक्षा के लिये संविदा वेतन की कम से कम 10 प्रतिशत राशि जीवन बीमा योजना अथवा पी पी एफ. में जमा करनी होगी तथा इस बात की सूचना नियुक्ति प्राधिकारी को देनी होगी कि कर्मचारी द्वारा किस योजना का चरण किया गया है। परंतु यह प्रावधान सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों पर लागू नहीं होगा।
- 28 संविदा भर्ती नियम में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेश लागू होंगे।


 मुख्य कार्यपालन अधिकारी
 जिला पंचायत
 उत्तर बस्तर कांकेर

संकाय सदस्य/डाटा एन्ट्री आपरेटर हेतु आवेदन पत्र

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत
जिला उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)

स्वप्रमाणित पासपोर्ट
साईज का हाल ही
की फोटो

01. आवेदित पद का नाम :-
02. आवेदक/आवेदिका का नाम :-
03. पिता/पति का नाम :-
04. स्थायी पता :-
05. पत्र व्यवहार का पता :-
06. जन्मतिथि (अंको में) :-
- (शब्दों में) :-
07. दिनांक (01.10.2017 को आयु) :-
08. जाति/वर्ग (सामान्य/अ.जा./अ.ज.जा./अ.वि.व) :-
- (का स्थायी जाति प्रमाण पत्र संलग्न करें)
09. छ.ग. के रोजगार कार्यालय का नाम :-
- जीवित पंजीयन क्रमांक व दिनांक :-
10. शैक्षणिक योग्यता :-

क्र.	परीक्षा का नाम	बोर्ड/विश्वविद्यालय का नाम	विषय	प्राप्तांक	पूर्णांक	प्राप्त अंकों का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
4						
5						

11. क्या उम्मीदवार विवाहित है, यदि हां तो विवाह की तिथि :-
12. जीवित संतान की संख्या :-

13. अनुभव का विवरण :-

क्र.	संस्था का नाम	पदनाम	अनुभव		
			दिनांक से	दिनांक तक	कुल अवधि
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					

14. संलग्न सत्यापित प्रमाण पत्रों की सूची :-

- 1.....2.....
 3.....4.....
 5.....6.....
 7.....8.....

आवेदक के हस्ताक्षर

नाम :-

पता :-

मोबाईल नंबर :-

घोषणा-पत्र

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने विज्ञापित पात्रता की शर्तों को ध्यान से पढ़ लिया है, जहां तक मेरी जानकारी और विश्वास है इस आवेदन पत्र की सभी प्रविष्टियां सत्य और सही हैं, मुझे मालूम है कि यदि कोई जानकारी असत्य एवं गलत पायी जावेगी तो मेरा आवेदन निरस्त किया जावेगा और चयन के उपरांत भी मेरा चयन या मेरी नियुक्ति निरस्त की जावेगी, जिसके विरुद्ध मेरे द्वारा कोई दावा प्रस्तुत करने का अधिकार मुझे मान्य होगा।

संलग्न प्रमाण पत्रों की मूल प्रति मांगे जाने पर मेरे द्वारा प्रस्तुत किया जावेगा।

दिनांक :-

स्थान :-

आवेदक के हस्ताक्षर

नाम :-

पता :-